A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0

अपील संख्याः—25/2017 (2017/00025)/225/मसूदा

समस्त ग्राम वासियान ग्राम बाड़ी तहसील विजयनगर जरियेः—

1. पॉचूराम पुत्र हजारी जाति गुर्जर
2. हरलाल पुत्र पॉचूराम जाति गुर्जर
3. अमरचन्द पुत्र पॉचूराम जाति गुर्जर
4. पूसाराम पुत्र रामलाल जाति गुर्जर
5. रतनी देवी पत्नी हरदेव जाति गुर्जर
6. छप्पा देवी पुत्री हजारी जाति गुर्जर
7. हेमराज पुत्र भोजा जाति गुर्जर
8. मगनाराम पुत्र भोजा जाति गुर्जर
9. छोगाराम पुत्र भोजा जाति गुर्जर
10. गोपी पुत्र हरदेव जाति भील
11. चौथमल पुत्र पन्ना जाति भील
12. रतन पुत्र मेवा जाति गुर्जर
13. रामदेव पुत्र अंजीता जाति गुर्जर समस्त निवासीगण ग्राम बाड़ी तहसील विजयनगर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती मंजू धर्मपत्नी मिश्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम बाड़ी तहसील विजयनगर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, विजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2016, प्रकरण संख्या 38/2015, उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर, मसूदा ।

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़, एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः— 2.5.2018

अपीलांट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर, मसूदा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 38 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।xx

01 प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक जिलाधीश, मसूदा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1538 किस्म गैर मुमकिन पाल सिवायचक आराजीयात में रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थिया का अपने खेत में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1538 किस्म गैरमुमकिन पाल (सिवायचक) से रास्ता हैं लेंकिन उसकी तरमीम नक्शें में पृथक से नही होने से अड़ोस—पड़ोस के लोग ऐतराज करते रहे हैं। प्रार्थिया के खेत पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से 30 फीट चौड़ा व 100 फीट लम्बा रास्ता दिलवाया जावें । उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार, विजयनगर से मौका रिपोर्ट तलब कर गैर मुमकिन पाल से 12 फीट चौड़ा व 100 फीट लम्बा रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, मसूदा के आदेश दिनांक 22.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।xx

02 अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

03 अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदार काश्तकार के द्वारा स्वंय की आराजीयात में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदारान की आराजीयात में से रास्ता दिये जाने बाबत् आवेदन किया जा सकता हैं। अधी0 न्याया0 द्वारा प्रार्थिया / रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद खसरा नम्बर 1538 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा गैर मुमकिन पाल मे से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये जो विधिविरूद्ध है । राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1538 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन पाल अंकित होने से धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् रास्ते के लिए आरक्षित नही की जा सकती हैं।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 1538 गैर मुमकिन पाल के दक्षिणी दिशा की तरफ अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजीयात स्थित हैं जिसमें खसरा नम्बर 1537, 1536, 1535 के पूर्वी छोर पर स्थित रास्ते के पास गैर मुमकिन पाल के किनारे–किनोर स्थित रास्ते का समस्त सहखातेदारान गत् 40 वर्षो से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 1538 पर गत् 40 वर्षो से आबादी बसी हुई है जिस बाबत् स्वंय ग्राम पंचायत, बाड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त आराजियात को आबादी विस्तार हेतु दिया जाना वर्णित करते हुए जिला कलक्टर के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा हुआ है । अधी0न्याया0 ने उक्त आबादी भूमि में रेस्पो0 की भूमि में आवागमन हेतु रास्ते दिये जाने के आदेश ग्रामवासियान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एकतरफा में पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 की आराजियात मे आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के उपरांत भी खसरा नंबर 1538 गै0मु0 पाल में रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 उक्त रास्ते की आड़ में खसरा नंबर 1538 पर अपीलांटस के बने रिहायशी मकानों को स्वंय के लाभ हेतु तुड़वाना चाहता है । ।

04 अभिभाषक अपीलांटस ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तहसीलदार, विजयनगर से तलब किये जाने के आदेश दिये है किन्तु तहसीलदार, विजयनगर द्वारा स्वयं मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार न कर पटवारी हल्का से मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करवाई है जबकि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा तहसीलदार या आई0एल0आर. से निम्न स्तर का कोई भी अधिकारी मौके पर रिपोर्ट हेतु नहीं जा सकेगा तथा ना नही उक्त आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता हैं। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का मकान भी मौके पर उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1538 गैर मुमकिन पाल पर बना हुआ हैं जिस पर स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 1541 एवं गैर मुमकिन पाल के पूर्वी तरफ स्थित बाजार में गेट बना हुआ हैं जो 12 फीट चौड़ा है जिससे होकर रेस्पोडन्ट संख्या 01 आवागमन कर सकता हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खसरा नम्बर 1531 के पूर्व में ही खसरा नम्बर 1538 के किनारे खसरा नम्बर 1535, 1536, 1537 के पूर्वी ओर स्थित रास्ता आवागमन हेतु स्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा उक्त आबादी की भूमि पर सम्बन्धित ग्राम वासीयान को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक पक्षीय रूप से प्रार्थना पत्र पर आक्षेपित निर्णय पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता दिये जाने के आदेश दिये गये है वो धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 को निरस्त किया जावें।

05. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदार काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 1531 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम बाड़ी तहसील मसूदा हाल विजयनगर में स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में आवागमन हेतु कोई वर्तमान में रास्ता मौजुद नही हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की उपरोक्त वर्णित भूमि के पूर्व में उत्तर से होकर पश्चिम में गैर मुमकिन पाल खसरा नम्बर 1538 स्थित हैं व उसके आगे आम रास्ता बना हुआ हैं । प्रार्थिया / रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी की आराजी में आवागन हेतु खसरा नंबर 1538 का उपयोग करते चले आ रहे है किन्तु रास्ता तरमीम न होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को विवाद का सामना करना पड़ता हैं । उक्त रास्ता सरकारी भूमि गैर मुमकिन पाल में होने के कारण ग्रामवासी रेस्पो0 संख्या 1 को परेशान करने की नियत से अतिक्रमण करने पर आमादा हैं एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवागमन में बाधा उत्पन्न करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है । वर्तमान में रेस्पो0 की खातेदारी आराजियात में जाने हेतु खसरा नंबर 1538 पाल के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, विजयनगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थिया / रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 1531 तक मुख्य सड़क पर पहुॅचने हेतु 100 फीट की लंबा रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है। अधी0न्याया0 का आदेश धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुसार हैं। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि गैर मुमकिन पाल में से रास्ता नही दिया जा सकता है स्वीकार योग्य नहीं हैं। विद्वान वकील रेस्पो0 ने संयुक्त शासन सचिव, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त परिपत्र के अनुसार राजकीय भूमि में से रास्ता दिया जा सकता हैं किन्तु रास्ता सार्वजनिक होगा। अधी0न्याया0 ने उक्त परिपत्र एवं रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण धारा 251–ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

06. अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विवादित आराजियात सार्वजनिक हित होने का कथन करते हुए समस्त ग्रामवासियान की हैसियत से अपील प्रस्तुत की है । चूंकि विवादित आराजियात गैर मुमकीन पाल है जिसमें ग्रामवासियान के हित भी निहित है । इसलिये हम न्यायहित में ग्रामवासियान को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की न्यायहित में अनुमति प्रदान की जाती हैं।

07. अपीलांटस द्वारा धारा 5 मियाद अधि0 प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है, क्योंकि अपीलांटस अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन निर्णय की जानकारी निर्णय दिनांक को होना नहीं माना जा सकता है। हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक समझते है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । xx

08. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 1531 में मुख्य सड़क से आवागमन हेतु खसरा नंबर 1538 गैर मुमकीन पाल में 100 फीट लंबा एवं 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिनांक 22.6.2016 को पारित किये है । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1538 गैर मुमकीन पाल है जिसमें आर0आर0टी0 2005 (1) पेज 59 में प्रतिपादित न्यायिक निर्णय अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय के अनुसार गैर मुमकीन पाल, नदी, नाले आदि की आराजी में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में हमने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2005 (1) पेज 59 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि गैर मुमकिन नाड़ी–जलागम क्षैत्र में निर्माण–निर्माण प्रयोजन हेतु नाड़ी भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता है । उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में विवादित भूमि खसरा नंबर 1538 गैर मुमकिन पाल में से रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1531 में आवागमन हेतु अधी0न्याया0 द्वारा पारित रास्ते के आदेश के विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम अपीलांटस अधिवक्ता के इस कथन से भी सहमत है कि अधी0न्याया0 द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार करवाई गई जबकि धारा 251–ए में यह प्रावधित है कि रास्ते की भूमि बाबत् मौका निरीक्षण तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अधी0न्याया0 के समक्ष मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा भिजवाई गई है तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

09. पत्रावली के अवलोकन एवं स्वंय अपीलांटस के कथनानुसार यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1538 की किस्म गैर मुमकीन पाल है जिस पर अपीलांटस एवं अन्य ग्रामवासियान के लगभग 40 वर्ष पुराने मकानात इत्यादि बने हुए है। न्यायालय हाजा का मत है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 1538 गैर मुमकिन पाल पर जहां एक तरफ अपीलांटस एवं अन्य ग्रामवासियान के मकानात भी अतिक्रमण की श्रेणी में होकर मान0 उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अवैध है वहीं दूसरी ओर रेस्पो0 विवादित भूमि गैर

मुमकिन पाल होने से ऐसी भूमियों में रास्ता भी नहीं दिया जा सकता है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 1531 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1538 गैर मुमकिन पाल में से दिया गया रास्ता भी उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रतिकूल होने से अवैध है । जहां तक रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत परिपत्र का प्रश्न है उक्त परिपत्र प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है क्योंकि उक्त परिपत्र में सिवायचक आराजी में से रास्ता दिये जाने के प्रावधान है ना कि गैर मुमकिन पाल, नदी इत्यादि में से । अपीलांटस ने दौराने बहस एवं अपीलमीमों में रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1531 पर आवागमन हेतु 1537, 1536, 1535 में वैकल्पिक मार्ग होने का कथन किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें उक्त वैकल्पिक मार्ग के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा कोई हवाला नहीं दिया गया है । इसलिये रेस्पो0 संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 1531 पर आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग के संबधं में तहसीलदार के माध्यम से मौका निरीक्षण कराया जाना भी उचित समझते है । अपीलांटस का यह कथन रहा है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1538 गैर मुमकिन पाल पर अपीलांटस एवं अन्य ग्रामवासीयान के मकानात बने हुए है तथा ग्राम पंचायत द्वारा विवादित आराजी को आबादी में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये है किन्तु इस संबंध में अपीलांटस द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलांटस का उक्त कथन मान्य नहीं है । इस संबंध में हम यह भी उचित समझते है कि यद्यपि विवादित आराजी खसरा नंबर 1538 गैर मुमकिन पाल में रास्ता नहीं दिया जा सकता है तथा ना ही ऐसी भूमियों में किसी प्रकार का निर्माण ही किया जा सकता है तथा यदि ऐसी भूमियों पर किसी प्रकार का निर्माण है तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में ही माना जावेगा । माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 के आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.6.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

:क्रियात्मक आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 26 / 2017 (2017 / 00025) बउनवान समस्त ग्राम वासीयान ग्राम बाड़ी बनाम श्रीमती मंजू वगैरह आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 38 / 2015 बउनवान श्रीमती मंजू बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.6. 2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है किः—

(1) विवादित भूमि खसरा नंबर 1538 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पाल दर्ज है तथा पाल की भूमि नदी, नालों एवं तालाबों की सुरक्षा हेतु होती है तथा ऐसी भूमियों में व्यक्तिगत / सार्वजनिक उपयोग हेतु नियमों में रास्ता दिया जाने का प्रावधान नहीं है किन्तु पाल भूमि सार्वजनिक रूप से पैदल रास्ते के उपयोग में सदैव से ली जाती रही है । अतः गैर मुमकिन पाल की प्रश्नगत भूमिको पैदल आवागमन हेतु उपयोग में ली जा सकती है।

(2) रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 1531 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1538 गैर मुमकिन पाल के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ते बाबत् तहसीलदार को स्वंय मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित करे तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को निर्णित करे ।

(3) विवादित आराजी खसरा नंबर 1538 की वर्तमान में किस्म गैर मुमकिन पाल है जिस पर अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार के प्रकरण में पारित सिद्धांतों के अनुसार नदी, नालों, जलागम क्षैत्र का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है जिसे पुनः पूर्व स्थिति में स्थापित किया जाना विधिसम्मत् होगा । मान0 उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार के प्रकरण में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विवादित आराजी खसरा नंबर 1538 गैर मुमकिन पाल को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा को दिये जाते है। अधी0न्याया0 इस संबधं में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(4) अधी0न्याया0 को यह भी निर्देश दिये जाते है कि रेस्पो0 संख्या 1 के खेत में आने जाने के लिये गैर मुमकिन पाल खसरा नंबर 1538 में अपीलांट संख्या 2 द्वारा लगाये गये गेट को 3 दिवस में ध्वस्त कर सार्वजनिक उपयोग हेतु पूर्व स्थिति कायम करे ।

(के.के.शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

आदेश आज दिनाक 2.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(के.के.शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर